C- Block, First Floor, Udyog Bhavan, Vuda Complex Siripuram Jn Visakhapatnam Ph No. 0891-2712833.34



BUREAU OF INDIAN STANDARDS Email: vzbo@bis.gov.in

Ref: VZBO/Tender/Accounts/2020-21

22 June 2020

NOTICE FOR INVITING TENDER FOR ACCOUNTING SERVICES

Bureau of Indian Standards invites <u>sealed bids</u>, under two bid system (Technical bid and Financial bid) from eligible Chartered Accountant/Cost Accountant firms having its office within the same city/district for providing "Accounting Services" for its Office located at the above mentioned address.

The Sealed bidding document along with EMD amount duly filled and signed should be addressed to the Scientist E & Head and reach at the above mentioned address on or before **06 July 2020, 1730hrs.** Tender received after stipulated time and date shall be summarily rejected. The tender document may also be downloaded from our web site www.bis.gov.in or the same can be obtained from our office.

Earnest Money Deposit:

Rs.15000.00 (Rupees Fifteen Thousand only) DD in favour of "Bureau of Indian Standards"

payable at Visakhapatnam, AP

Issuance of Tender Document:

22/06/2020, Monday

(Between 1000hr and 1730hr on all days except Saturday, Sunday & Holidays)

Last Date for submission of Tender:

06 July 2020, Monday till 1730hrs

Date and time of opening of Tender:

08 July 2020, Wednesday 1500hrs at Office

Premises

Validity of Bids:

60 days from opening of technical bid.

Method/manner for Submission of Bids: An envelope super-scribing Tender for Manpower Services at BIS, Visakhapatnam having two envelopes containing "Technical Bid" and "Financial Bid" must bear the name & address of the party & shall be addressed to "Head Visakhapatnam Branch Office, Bureau of Indian Standards, C- Block, First Floor, Udyog Bhavan, Siripuram Jn, Visakhapatnam.

DD for the EMD amount should be enclosed alongwith the bid value of tender document; else, tender document for the bid will not be accepted.

The Bureau reserves the right to accept / reject any of the Tender(s) without assigning any reason whatsoever and shall be final and binding.

Scientist E & Head
Visakhapatnam Branch Office

TENDER DOCUMENT

SCHEDULE - 1: INSTRUCTIONS TO BIDDERS

1. Notice inviting Bids:

Sealed Bids, under two bid system (Technical bid and Financial bid), are invited by the Bureau of Indian Standards (BIS), from eligible Chartered Accountant/Cost Accountant firms having its office within the same city/district for providing "Accounting Services" as specified in the **Schedule-4**.

2. Issue of Tender Document:

- 2.1 The Tender document can also be downloaded from the website of the Bureau (www.bis.org.in & cpp portal).
- 2.2 The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Bid. The Bureau shall, in no case, be responsible or liable for these costs, regardless of the conduct or the outcome of the Bidding process.
- 3. Language of Bid/Contract: The language of the Bid shall be in English/Hindi and all correspondence, etc. shall conform to the English/Hindi language.

4. Clarification on Tender Document

- 4.1 The firm interested for participation in tender may visit the office between 9.00 AM to 5.00 PM on all working days except Saturdays, Sundays and holidays to have any clarification on matters and quantum of work.
- 4.2 No alterations and additions anywhere in the Bid Document are permitted. If any of these are found, the Bid may be summarily rejected. In case of any doubt, the Bidder should seek clarification in writing seven (7) days before the last date for submission of Bids.
- 4.3 Any change that will be made in the Tender Document by the Competent Authority after issue of the Tender will be intimated to the prospective Bidders in the form of Corrigendum/Addendum for incorporating the same in the Bid before submitting the Bid.

5. Validity of Bids:

The Bids will be valid for a period Indicated in **Schedule-4** from the date of its opening.

6. Earnest Money/ Bid Security:

6.1 The Bidder shall deposit with the Bureau a sum indicated in the Schedule-4, as an interest free Earnest Money Deposit (EMD). The Earnest Money shall be deposited through Demand Draft in favour of Bureau of Indian Standards payable at Visakhapatnam.

- 6.2 The failure or omission to deposit the Earnest Money shall disqualify the Bid and the Bureau shall exclude from its consideration such disqualified Bid(s).
- 6.3 Bidder shall not revoke his Bid or vary its terms and conditions without the consent of the Bureau during the validity period of the Bid. If the bidder revokes the bid or varies its terms or conditions, the Earnest Money deposited by it shall stand forfeited to the Bureau without prejudice to its other rights and remedies and the Bidder shall be disentitled to submit a Bid to the Bureau for providing "Accounting Services" during the next twenty-four (24) months effective from the date of such revocation.
- 6.4 If the successful Bidder does not pay the Performance Security in the prescribed time limit or fails to sign the agreement bond, its Earnest Money Deposit will be forfeited by the Bureau.
- 6.5 The Earnest Money of unsuccessful Bidder shall be refunded after the successful Bidder furnishes the required Performance Security to the Bureau and signs the contract or within thirty (30) days of the expiry of validity period of Bids, whichever is earlier.

7. Eligible Bidders

Only those Bidders, who fulfill the eligibility criteria as mentioned in the **Schedule-4**, are eligible to submit their Bids for providing "Accounting Services".

8. Rates how to be quoted

- 8.1 The bidder is expected to work out his rates keeping in view the services to be provided as per **Schedule 3** arrive at the amount to be quoted. The Bidder shall be deemed to have satisfied itself before Bidding as to the correctness and sufficiency of its Bid and of the rates quoted in the attached schedules, which shall, except as otherwise provided, cover all its obligations under the contract and all matters and things necessary for proper fulfilling his obligations under the contract.
- 8.2 The Financial Bid shall be exclusive of all taxes. Out of pocket expenses/ conveyance charges etc. are not reimbursable.

9. Manner of Submission of Bid

- 9.1 The complete Bid will be received as indicated in the Schedule-4, by depositing the same in the Bid Box or by post which reaches the specified place before the specified time & date. Post includes Speed Post, Registered Post.
- 9.2 E-mail or fax offers will be rejected.

10. Last Date for Submission

- 10.1 Sealed Bids shall be received at the address specified above not later than the time and date specified in **Schedule 4** of the Tender Document. Bids received after the specified date and time for receipt of bids shall not be considered. Hence, such bids shall be rejected and returned unopened to the Bidder.
- 10.2 In the event that the specified date for the submission of Bid offers is declared a holiday, the offers will be received up to the appointed time on the next working day.

11. Modification and Withdrawal of Offer

The Bidder may withdraw its offer after its submission, provided that written notice of withdrawal is received by the Bureau prior to the closing date and time prescribed for submission of offer.

12. Contents of Bid Document

12.1 Bids are invited in two-bid system (Technical bid and Financial bid). The completed Bid shall be submitted in sealed envelope, super-scribing the "Tender for "Accounting Services".

12.2 Envelope No.1 (Technical Bid):

12.2.1 The following documents are to be submitted for Technical Bid Evaluation:

SI. No.	Particulars Documents to attached			
1.	EMD in the form of Demand Draft for the amount as given in Schedule-4 of Tender document in favour of "Bureau of Indian Standards" payable at Visakhapatnam	×		
2.	Name of the Bidder (Firm), Office Address, Telephone No., Fax No., Mobile No., E-mail, PAN No., Service Tax No. etc.	Information to be furnished in Annex-2.		
3.	Certificate of Practice from Institute of Chartered Accountant of India/Institute of Cost Accountant of India under provisions of Chartered Accountant Act 1949/Cost and Works Accountant Act 1959 respectively to provide the professional services	Certificate of Practice.		
4.	At-least three years experience each in providing accounting service to the three Government Departments / Public Sector Undertakings (Central or State)/Pvt. Ltd. Firm during last 10 years.	Information to be furnished in Annex-3. Enclose copies of the Satisfactory Work Completion Certificate.3		
5.	Income Tax Return of the firm for the past three years should be enclosed	Refer Annex-2. Enclose copy of Return		
6.	Service Tax Return of the firm for the past three years should be enclosed	Refer Annex-2. Enclose copy of Return		
7.	A declaration regarding black-listing and/ or litigations	The information is to be given in the format enclosed.(Annexure-4)		

- 12.2.2 In case of a firm, each partner or power of attorney holder shall sign the Bid. The attested copies of power of attorney of person signing the Bid shall be enclosed with the Bid. The power of attorney shall be signed by all partners.
- 12.2.3 All pages and pasted slips should be signed by the Bidder and no page shall be added or removed from the set of Bid Document. Duly signed Bid document is to be submitted along with the Bid as a token of its acceptance;

- 12.3 Envelope No.2 (Financial Bid): This envelope shall contain financial bid as per format given in Schedule-5, duly filled in and initialed on each page and signed by the Bidder at prescribed places of the Bid. The instructions contained in clause 8 may please be noted.
- **12.4** Covering Envelope: Both the envelopes 1 and 2 shall be put together in a common sealed envelope super-scribing the "Tender for Accounting Services" and the name and address of the Bidder at the bottom left.

13. Other Important Points to be noted by the Bidder

- (a) The Financial Bid should be written both in words and figures at appropriate places.
- (b) The Bidder shall submit the Bid which satisfies each and every condition laid down in **Schedule-4**, failing which the Bid shall be liable to be rejected. **Conditional Bids** will be rejected.

14. Corrupt or Fraudulent Practices

- 14.1 The Bureau requires that the Bidders under this Bid observe the highest standards of ethics during providing of Accounting Services and execution of such Contracts. Accordingly, the Bureau defines the terms set forth as follows:
 - (a) "corrupt practice" means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of the public official in the contract execution; and
 - (b) "fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in order to influence an execution of a contract to the detriment of the Bureau, and includes collusive practice among Bidders (prior to or after Bid submission) designed to establish Contract Prices at artificial non-competitive levels and to deprive the Bureau of the benefits of the free and open competition.
- 14.2. The Bureau shall reject a proposal for award, if it determines that the Bidder recommended for award has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for the Contract in question. The Bureau shall deem a firm ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, to be awarded a contract if it at anytime determines that the firm has engaged in corrupt and fraudulent practices in competing for, or in executing, a contract.

15. Opening of Bid

The Bid received before the time and date specified in Tender Notice, will be opened as per the specified program in the office as mentioned in the **Schedule-4** (if possible), in the presence of Bidders or their authorized representatives who choose to remain present on the opening day, at the scheduled time.

16. Shortlisting of Bidders

The Bureau will short-list technically qualifying Bidders and Financial Bids of only those Bidders, who qualify in technical bids, will be opened at a date and time to be intimated.

17. Opening of Financial Bids

The Bureau shall open Envelope No.2(Financial Bid), on notified date, and the rates quoted by the bidder in price schedule (**Schedule-5**) shall not be read out. The work will be awarded to the L-1 bidder.

18. Acceptance of Bid

Acceptance of Bid shall be done by the Competent Authority of the Bureau. The Bureau is not bound to accept the lowest or any Bid. The Bureau reserves the right to reject any or all Bids received without assigning any reason whatsoever. The acceptance of Bid will be communicated to the successful Bidder in writing by the authorized officer of the Bureau.

19. Renewal of Contract

Initially, the Contract shall be valid for a period of one year which can be extended for further period on yearly basis, subject to satisfactory performance of the contract services and mutual consent between Bureau and Contractor; at the same fees, terms & condition of the contract.

20. Process to be Confidential

Information relating to the examination, evaluation and comparison of Bids and the award of a Contract shall not be disclosed to Bidders or any other person not officially concerned with such process until the award to the successful Bidder has been announced.

21. Performance Security

To ensure due performance of the **Contract**, an interest-free Performance Security, for an amount as indicated in Schedule-4, will be obtained from the successful bidder awarded the contract, irrespective of its registration status, etc. Performance Security will be furnished by NEFT/RTGS or in the form of an Account payee Demand Draft in favour of 'Bureau of Indian Standards' payable at 'Visakhapatnam' or a Bank Guarantee as per format indicated in **Annexure1**.

22. Execution of Contract Document

- 22.1 The successful Bidder after deposit of Performance Security, is required to execute an Agreement in duplicate in the form attached with the Bid Documents on a stamp paper of proper value. The proper value at present is Rs.100/-. The Agreement should be signed within 10 days from the date of acceptance of the Bid. The Contract will be governed by the Agreement, the Conditions of the Contract (CoC) and other documents as specified in the CoC.
- 22.2 It shall be incumbent on the successful Bidder to pay stamp duty, legal and statutory charges for the Agreement, as applicable on the date of the execution.

23. Rights of the Bureau

23.1 The Bureau reserves the right to suitably enhance/reduce the scope of work put to this Bid.

23.2 In case of any ambiguity in the interpretation of any of the clauses in Tender Document or the conditions of the Contract, interpretation of the clauses by the Bureau shall be final and binding on all Parties.

24. Notice to form Part of Contract

Tender Notice and these instructions shall form part of the Contract.

SCHEDULE - 2: CONDITIONS OF CONTRACT

1 DEFINITIONS:

- i) 'Contractor' shall mean the individual or firm whether incorporated or not, undertaking the Contract and shall include legal representatives of such individual or persons composing such firm or successors of such firm as the case may be and permitted assigns of such individual or firm.
- 'Services' shall mean the services to be provided to the Bureau by the Contractor as stated in the Contract and shall include other services that are prescribed in the Tender document.
- 'Contract' shall mean and include the Tender Notice, instructions to bidders, terms and conditions of contract, Letter of Acceptance, the Offer, the Agreement and mutually accepted conditions in the authorized correspondence exchanged with the bidder by the Bureau and any other document forming part of the contract.
- iv) 'Contract Amount' shall mean the sum quoted by the Contractor in his bid and accepted by the Bureau.
- v) **'Competent Authority'** shall mean any officer authorized by the Bureau to act on behalf of the Bureau under this contract.
- vi) 'Government' shall mean the Central Government.
- vii) **'Bureau'** shall mean Bureau of Indian Standards established under the Bureau of Indian Standards Act, 1986.
- viii) 'Director General' shall mean the Director General of the Bureau, for the time being holding that office and also his successor and shall include any officer authorized by him.
- 'Approved' shall mean approved in writing including subsequent confirmation of previous verbal approval and "Approval" shall mean approval in writing including as aforesaid.
- x) 'Specification' means the specification referred to in the tender. In case where no particular specification is given, the relevant specification of the Bureau, where one exists, shall apply.
- xi) 'Tender' means formal invitation by the Bureau to the prospective bidders to offer fixed price for supply of Services.
- xii) 'Bid' means the Contractor's priced offer to the Bureau for providing Accounting Services and remedying of any defects in the Services in accordance with the provision of the Contract and services as accepted by the Letter of Acceptance.
- xiii) 'Letter of Acceptance' means the formal acceptance by the Bureau.

- xiv) 'Commencement Date' means the date upon which the Contractor receives the notice to commence the Accounting Services.
- (Annexure' referred to in these conditions shall means the relevant annexure appended to the Tender Document and the Contract.

2. Parties to the Contract:

The parties to the contract shall be the firm, whose offer is accepted by the Bureau; and the Bureau.

The person signing the offer or any other document forming the part of Contract on behalf of other persons of a firm shall be deemed to have due authority to bind such person/s or the firm as the case may be, in all matters pertaining to the Contract. If it is found that the person concerned has no such authority, the Bureau may, without prejudice to any other Civil/Criminal remedies, terminate the Contract and hold the signatory and / or the firm liable for all costs and damages for such termination.

3. Performance Security

To ensure due performance of the contract, an interest-free Performance Security, for an amount as given in **Schedule-4** may be deposited by the firm in the form of Demand Draft/Pay Order in favour of 'Bureau of Indian Standards' payable at 'Visakhapatnam' or Bank Guarantee as per format indicated in **Annexure-1**.

Any amount due/recoverable from the firm under the terms of this Contract or any other account, may be deducted from the amount of Performance Security. In case, the amount of Performance Security is reduced by reason of any such deduction, the Contractor shall, within fifteen (15) days of receipt of notice of demand from the Bureau, make good the deficit. In case, security is deposited by way of bank guarantee by the firm, then any penalty for damages liquidated or unliquidated or for any breach or failure or determination of Contract, not previously paid to the Bureau, shall immediately on demand be paid by the said bankers to Bureau under and in terms of the said guarantee.

If during the term of this Contract, the firm is in default of the due and faithful performance of its obligations under this Contract, or any other outstanding dues by the way of fines, penalties and recovery of any other amounts due from the firm, the Bureau shall, without prejudice to its other rights and remedies hereunder or at the Applicable Law, be entitled to call in, retain and appropriate the Performance Security.

Nothing herein mentioned shall debar the Bureau from recovering from Contractor by a suit or any other means any such losses, damages, costs, charges and expenses as aforesaid, in case the same shall exceed the amount of the Performance Security.

The Performance Security shall be retained until all disputes, if any, between both the parties have been settled to the entire satisfaction of the Bureau. The Performance Security shall be returned to the firm by the Bureau within sixty days following the Completion Date or Termination Date of this Contract provided that there are no outstanding claims of the Bureau on the Contractor.

4. Contract Documents:

The several Contract documents forming the Contract shall be taken as mutually explained to one party by the other, but in case of ambiguities or discrepancies the same shall be explained and harmonized by the Competent Authority of the Bureau who shall issue to the firm necessary instruction thereon and in such event unless otherwise provided in the Contract the priority of the documents forming the contract shall be as follows:

- i) The Agreement
- ii) The Conditions of Contract
- iii) Tender Notice and Tender Document
- iv) Letter of Acceptance.
- Any other correspondence exchanged between the parties in connection with the contract.
- vi) The Contractor's Offer

5. Liquidated Damages

If the firm does not perform the Services as specified in the Contract the Bureau shall, without prejudice to its other remedies under the Contract, deduct from the Contract price, as liquidated damages, a sum equivalent to Rs 1000 (one thousand only) for each default in service subject to maximum penalty of Rs. 10,000/- (Ten Thousand only). Bureau may consider termination of the Contract in case of continuous default.

6. Risk

In case the firm fails to provide the services as stipulated in the scope of work, the Bureau reserves the right to procure the same from alternate sources at the risk, cost and responsibility of the firm.

7. Payments Terms & Renewal of Contract

The payment towards the Services will be made by the Bureau directly to the firm on monthly basis subject to satisfactory completion of work. The rates quoted shall be exclusive of all applicable taxes. The applicable taxes will be extra. There shall be no reimbursement of out of pocket expenses/conveyance charges etc.

The payment of bills arising out of the contract will be credited directly in Bank Account of the firm. The payment will be subject to the provisions of the Income Tax Act, 1961 i.e., Tax will be deducted at source with cess/surcharge, at the prevailing rates, from the gross amount of each bill submitted.

The Bureau reserves the rights to retain and set off against any sum which may be from time to time due to the Contractor under any claim, which the Bureau may have under this or any other Contract/Agreement.

Initially, the Contract shall be valid for a period of one year which can be extended for further period on yearly basis, subject to satisfactory performance of the contract services and mutual consent between Bureau and Contractor; at the same fees, or fees may be raised as applicable when there is any change in the statutory work, terms & condition of the contract.

8. Indemnity:

The firm shall indemnify and keep indemnified the Bureau against all losses and claims for injuries or damage to any person or any property whatsoever which may arise out of or in consequence of the Contract and against all claims, demands, proceedings, damages, costs, charges and expenses whatsoever in respect of or in relation thereto under the provisions of various labour laws as amended from time to time.

The Contractor shall indemnify, protect and save the Bureau against all claims, losses, costs damages, expenses, action suits and other proceeding, resulting from infringement of any patent, trademarks, copyrights etc. or such other statutory infringements.

9. Corrupt or Fraudulent Practices

The Bureau requires that the Bidders under this Bid observe the highest standards of ethics during the execution of such Contracts. Accordingly, the Bureau defines the terms set forth as follows:

- (a) "corrupt practice" means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of the public official in contract execution; and
- (b) "fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in order to influence an execution of a contract to the detriment of the Bureau, and includes collusive practice among Bidders (prior to or after Bid submission) designed to establish Contract Prices at artificial non-competitive levels and to deprive the Bureau of the benefits of the free and open competition.

The Bureau will reject a proposal for award if it determines that the Contractor has engaged in corrupt or fraudulent practices before, during or after the period of contract; The Bureau will hold the Contractor ineligible to be awarded a contract, either indefinitely or for a period of 24 months from the date of declaring the contractor ineligible if it at any time determines that the Contractor has engaged in corrupt and fraudulent practices in competing for, or in executing the Contract.

10. Suspension of Contract

The Bureau shall be at liberty at any time to suspend temporarily this Contract on giving 24 hours notice in writing the firm for breach of any of the terms and conditions of this Contract for insufficient service or misconduct of the firm as to which the decision of the Bureau shall be final and the firm shall not be entitled to any change or compensation by reason thereof.

An event of default on the part of the firm, which results from the firm being unable to fulfill its Service obligations under the Contract, shall be deemed as a serious default, and is said to have occurred due to any of the following causes:

- (a) In the opinion of the Bureau, the firm has repudiated the Contract,
- (b) Without reasonable excuse has failed to commence the Services in accordance with this Contract, or failed to or provide Services within the time stipulated for completion;

- (c) Despite previous warning from the Bureau, in writing, or otherwise persistently or flagrantly neglecting to comply with any of its obligations under the Contract;
- (d) Serious discrepancy in the quality of the services is noticed during the inspection.
- (e) The firm, in the judgement of the Bureau, has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in carrying out the Services under the Contract.
- (f) The firm enters into voluntary or involuntary bankruptcy, or liquidation;
- (g) The firm becomes insolvent;
- (h) A receiver, administrator, trustee or liquidator is appointed over any substantial part of its assets;
- (i) Any act is done or event occurs with respect to the Contractor or its assets, which, under any applicable law has substantially similar effect to any of the foregoing acts or events;
- (j) The firm (in case of a consortium) has modified the composition of the consortium and/or the responsibility of each member of the consortium without prior approval of the Bureau.

11. Termination by the Bureau

It shall also be lawful for the Bureau to terminate the Agreement at any time without assigning any reason and without being liable for loss or damage which the firm may suffer by reason of such termination, by giving the firm 15 days notice in writing by the Bureau for such termination. Any such termination shall be without prejudice to any other right of the Bureau under the Contract.

12. Firm's right to terminate

If the firm decides to terminate the Contract before the end of contract period, the firm has to give an advance intimation of at least 60 days.

If the firm terminates the agreement without prior notice of 60 days, then the entire permanent security deposit will be forfeited.

13. Force Majeure Clause:

If at any time during the continuance of this Contract, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this contract shall be prevented or delayed by the reasons of any war, hostility, acts of the public enemy, epidemics, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosion, quarantine restrictions, strikes, lockouts or act of God (hereinafter referred to as such acts) provided notice of happening of such event is given by one party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in performance, and deliveries under the contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to

exist, and the decision of the Director General of the Bureau as to whether the deliveries have been so resumed or not, shall be final and conclusive, PROVIDED FURTHER that if the performance in whole or part of any obligation under this contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding 60 days, either party may at its option terminate the contract provided also that the Bureau shall be at liberty to take over from the Contractor at a price to be fixed by Director General, which shall be final, all unused, undamaged and accepted material, bought out components and stores in course of manufacture in the possession of the contractor at the time of such termination or such portion thereof as the Bureau may deem fit excepting such materials, bought out components and stores as the contractor may with the concurrence of the Bureau elect to retain.

14. Confidentiality

The Contractor shall not divulge or disclose proprietary knowledge obtained while providing services under this Contract to any person, without the prior written consent of the Bureau.

15. Publicity

Any publicity by the firm in which the name of the Bureau is to be used, should be done only with the explicit written permission of the Bureau.

16. Disputes & Arbitration

The Bureau and the firm shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation, any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract.

If a dispute(s) of any kind whatsoever that cannot be resolved the same shall be referred to the Arbitrator, appointed by the Authorized Officer indicated in Schedule-4. The provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply.

17. Mode of serving Notice

Communications between Parties which are referred to in the Contract are effective only when in writing. A notice shall be effective only when it is delivered (in terms of Indian Contract Act).

All notices shall be issued by the authorized officer of the Bureau unless otherwise provided in the Contract. In case, the notice is sent by registered post to the last known place or abode or business of the Contractor, it shall be deemed to have been served on the date when in the ordinary course of post these would have been served on or delivered to it.

18. Governing language

Governing language for the entire contract and communication thereof shall be English only.

19. Law:

The contract shall be governed and interpreted under Indian Laws.

20. Legal Jurisdiction

No suit or other proceedings relating to performance or breach of Contract shall be filed or taken by the Contractor in any Court of law except the competent Courts having jurisdiction within the local limits of Visakhapatnam Only.

21. Stamp duty:

The Contractor shall bear and pay any stamp duty and registration charges in respect of the Contract.

SCHEDULE-3: SCOPE OF ACCOUNTING SERVICES

The Accounting Services in general will include: Performing the routine accounting work of this Branch of BIS in Tally Accounting Software/ any other software as per the general principle of accounting and the guidelines/instructions of Headquarter, taking time bound appropriate action(s) as per the statutory requirements from time to time. In particular, the accounting services will include:

- All transactions shall be kept-in in tally software/any other software and report shall be generated on periodical intervals, month-wise, year-wise etc. and proper back-up of the records shall be maintained.
- 2. Ledger book(s) of accounts shall be maintained and updated as per the requirements.
- 3. Preparation of Bank Reconciliation Statement and to ensure that Bank Reconciliation Statement should not contain any long pending outstanding debit/credit entries.
- 4. Maintenance of Asset Registers in prescribed format, all additions in Assets should be properly recorded, depreciation to be provided at the prescribed rates and entries for dispose off of condemned assets should also be recorded in the assets register.
- Trial Balance should be generated on or before 15th of every month alongwith Schedules of all Current Assets and Current Liabilities duly reconciled.
- 6. Finalization of Trial Balance for the year ending 31st March alongwith all Schedules as given in the circular on Annual Closing of Accounts issued by Accounts Department-HQ.
- 7. Preparation of Receipt & Payment Account for the year ending 31st March in the format given in the Circular on Annual Closing of Accounts issued by HQ.
- 8. Preparation of TDS statement and assist the branch for timely payment of TDS. The TDS certificate to the concerned parties shall also be generated by stipulated dates and TDS returns shall also be filed within the stipulated date.
- Preparation of GST Tax statement and assist the branch for timely payment of GST after taking into account the available Input Credit. The GST returns shall also be filed within the stipulated date.
- 10. Preparation of Professional Tax statement of the employee every month in accordance to the AP (State) notification from time to time and assist the branch for timely payment of professional tax and filing of returns if required.
- 11. Preparation of statement, payment, filing of return etc. of any other taxes levied by Govt. from time to time
- 12. Assisting in furnishing the reply to all queries of internal Audit, AG audit, GST, Professional Tax, Income-tax etc.
- 13. Providing opinion on the matters relating to GST, Professional Tax, and Income-tax as per Government notification from time to time.
- 14. Any other work assigned relating to accounts/statutory requirements etc.
- 15. The person deputed for doing the accounting work shall attend BIS office at least 21 working days in a month. A record for the same will be maintained by the Branch Office. A senior professional member of the firm shall also visit the branch every month to ensure that the work is being done as per norms/statutory requirements.

Date:	
Place:	

(Name and Signature of Tenderer with stamp of the firm)

SCHEDULE - 4: SPECIFICATION & ALLIED TECHNICAL DETAILS

1. MINIMUM ELIGIBILITY CRITERIA

- (i) EMD for an amount as specified below is to be submitted along with the Tender Document either in the form of Demand Draft drawn in favour of "Bureau of Indian Standards" Payable at Visakhapatnam. Else, the Bid will not be considered.
- (ii) The firm should have certificate of practice from the Institute of Chartered Accountant of India under provisions of Chartered Accountant Act 1949/Institute of Cost Accountants of India under provisions of Cost & Works Accountant Act, 1959, to provide the professional services and shall enclose the copy of certificate of practice with respective institution. The firm shall have its office within the same city/district
- (iii)The firm should have been/had been providing accounting service to three Government Departments / Public Sector Undertakings (Central or State) / Private Limited Firm during last ten years for atleast 3 years each.
- (iv) The Copy of PAN Card and a copy of Income tax Return and GST Return of last financial year shall be enclosed.
- (v) The person to be deployed should be from commerce background and also well conversant with Tally Software and MS Office in performing the accounting work. Copy of the Qualification and experience certificates of the deployed person shall be enclosed.
- (vi) A declaration regarding blacklisting and/or litigation (Annexure 4)
- 2. Availability of Tender Documents:
 Place: Visakhapatnam Period: 22 June 2020, Monday 1100hr onwards
- 3. Earnest Money Deposit: Rs. 15,000/- (Rupees Fifteen Thousand only)
- 4. Performance Security Deposit(10% of the value of the Contract)
- 5. Validity of Bids: 06 July 2020, Monday till 1730hrs
- 6. Opening of Bids: 08 July 2020, Wednesday at 1500hrs
- 7. Authorized Officer on behalf of the Bureau for this tender/contract:
 - Shri. R. Tirumala Rao, Sc-C. BIS, Visakhpatnam

SCHEDULE 5-FINANCIAL BID DOCUMENT

The firm willing to provide Accounting Services shall give their bid value per annum (excluding applicable taxes) as follows:

Annual Bid Value for providing Accounting Services (excluding applicable taxes)

Amount in figures: Rs.

Amount in words: Rupees

We have studied all the terms & condition of the Tender Document, Minimum Eligibility Criteria, Scope of Work, and General Condition of the Contract and agree for all the terms & condition of the contract.

Date:

Place:

(Name and Signature of Authorized person with stamp of the firm)

SCHEDULE - 6: CONTRACT FORM-AGREEMENT

	this day of between
	address of the Contractor) (hereinafter referred to as the
	shall, unless it be repugnant to the context or meaning de its successors and assigns) of the ONE PART and the
	clock, Ist First Floor, Udyog Bhavan, Siripuram Jn,
	to as the BUREAU, which expression shall, unless it be
*	hereof, be deemed to mean and include its successors and
assigns) of the OTHER PART.	nereon, be deemed to mean and meride its successors and
acciding of the Carlotta and the	
WHEREAS the Contractor is a Service	e Provider.
AND WHEREAS the Bureau is a boo	dy corporate, enacted by Parliament. The Bureau intends
	on contract basis, therefore, invited bids through
Limited/Open Tender enquiry dated _	on contract basis, therefore, hivited blas through
	
WHEREAS the Contractor (successful	l bidder) submitted his bid vide in accordance
	ed as 'successful bidder' pursuant to the bidding process
and negotiation on contract prices, aw	varded the 'Letter of Acceptance' (LoA) No to the
Contractor on	
	e to abide the terms and conditions as mentioned in
Schedule 2 (Conditions of Contract) of	f Tender Document":
(Signature of Contractor) (Si	innature of Authorized Officer of the Purson)
Authorized Representative)	ignature of Authorized Officer of the Bureau)
Authorized Representative)	
Name	Name
Name	Name
Designation	Designation
Designation	Designation
Address	Address
7 tudi ess	Address
Seal of the Firm	Seal of the Bureau
Sour Or the 1 mm	Sour of the Durent
Witness:	Witness:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TT REAL WOOD
(Signature)	(Signature)
	(
Name of Witness	Name of Witness
Address	Address

SCHEDULE - 7: OTHER STANDARD FORMS, IF ANY, TO BE UTILIZED BY THE BIDDERS.

1.	Annexure-1	FORM OF BANK GUARANTEE BOND
2.	Annexure-2	DETAILS TO BE FURNISHED BY THE BIDDERS
3.	Annexure-3	DETAILS OF THE SIMILAR TYPE OF SERVICS PROVIDED BY THE BIDDER DURING LAST 10 YEARS
4.	Annexure-4	DECLARATION REGARDING BLACK-LISTING AND/ OR LITIGATIONS

Annexure -1

FORM OF BANK GUARANTEE BOND

1.	In consideration of Bureau of Indian Standards (hereinafter called 'The BUREAU') having agreed to exempt						
	(hereinafter called "the said Contractor(s)") from the demand under the terms and conditions of an Agreement dated for						
	(hereinafter called "the said Agreement of security deposit for the due fulfillment by the said Contractor (s) of the terms and conditions contained in the said Agreement, on production of a Bank Guarantee for Rs(RupeesOnly)						
	we, (hereinafter referred to as (indicate the name of the bank) "the bank" at the request of						
	the bank) at the request of						
	Contractor (s) do hereby undertake to pay the Bureau an amount not exceeding Rs. against any loss or demand caused to or suffered or would be caused to or suffered by the Bureau by reason of any breach by the said Contractor (s) of any of the terms or conditions contained in the said Agreement.						
2.	Wedo hereby(indicate the name of the bank) undertake to pay the amounts due and payable under this guarantee without any demur, merely on a demand from the Bureau of Indian Standards stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the Bureau by reason of breach by the said Contractor (s) of any of the terms or conditions contained in the said Agreement or by reasons of the Contractor (s) failure to perform the said Agreement. Any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs						
3.	We, undertake to pay to the Bureau any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Contractor (s) / Supplier (s) in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating thereto our liability under this present being absolute and unequivocal. The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment there under and the Contractor (s) / Supplier (s) shall have no claim against us for making such payment.						
	We,						

5.	We further agree with the Bureau that
	(indicate the name of Bank) the Bureau shall have the fullest liberty without our consent and
	without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and
	conditions of the said Agreement or to extend time to performance by the said Contractor
	(s) from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers
	exercisable by the Bureau against the said Contractor (s) and to forbear or enforce any of
	the terms and conditions relating to the said agreement and we shall not be relieved from
	our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said
	Contractor (s) or for any forbearance, act or commission on the part of the Bureau or any
	indulgence by the Bureau to the said Contractor (s) or by any such matter or thing
	whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision, have effect
	of so relieving us.
6.	This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the Contractor (s) / Supplier (s).
7	We, lastly undertake not to revoke this
	(indicate the name of bank) guarantee during its currency except with the
	previous consent of the Bureau in writing.
-	
Da	ated theday of(year)
	For
	(indicate the name of honk)

Annexure-2

DETAILS TO BE FURNISHED BY THE BIDDERS

4	100	N. T.		C .1	R 14	m.		
J.	Jan 3	Nan	ne o	of t	ne	-11	m	•

- 2. Class of Registration with validity date:
- 3. Address for Communication:
- 4. Landline & Mobile No.:
- 5. E-mail:
- 6. Details of Proprietor/Partner/Director

Name	Address	Qualification and Experience

- 7. PAN, GST Number of the Firm (enclose copy):
- 8. GST Registration No.:
- 9. Enclose the copies of the Income-tax Returns & GST Returns for last financial year.
- 10. EMD Draft Number/Date & Name of the Bank:

This is to certify that the above facts are true complete and correct to the best of my knowledge and belief. Further, it is certified that I/We have read and understood the terms and conditions of the Tender Notice.

I/We give an undertaking and give our unconditional and unequivocal acceptance of all terms and conditions of the Tender and agree to abide by these terms and conditions.

Name and Signature of the Firm

Seal of the Firm

Dated: Place:

Annexure -3

DETAILS OF THE SIMILAR TYPE OF SERVICES PROVIDED BY THE BIDDER TO EACH OF 3 ORGANIZATION DURING LAST 10 YEARS

Name of the Bidder:

Year	Name & Type of	Name & Address of	Value of the Services	Remarks
	Services provided	the organization	provided	

Enclose copies of the offer letters from above organization.

Annexure-4

DECLARATION REGARDING BLACK-LISTING AND/ OR LITIGATIONS

L	we hereby declare t	hat our firm is	no	t black-	liste	d by	any Mini	stry or I	Depar	tment	of
Central	Government/State	Government	or	PSU	or	other	bodies	under	the	Centi	ral
	nent/State Governm against the firm or it							case is	regis	tered	or

Signature of Bidder
Name & Address of Bidder:
Seal of the Firm

C- Block, First Floor, Udyog Bhavan, Vuda Complex Siripuram Jn Visakhapatnam Ph No. 0891-2712833, 34

Email: vzbo@bis.gov.in



Ref: VZBO / निविदा / लेखा / 2020-21

22 जून 2020

लेखा सेवाओं के लिए निविदा आमंत्रित करने के लिए सूचना

भारतीय मानक ब्यूरो, सीलबंद बोलियों को आमंत्रित करता है, पात्र चार्टर्ड एकाउंटेंट / लागत लेखाकार फर्मों से दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और वितीय बोली) के तहत, उपरोक्त शहर में स्थित अपने कार्यालय के लिए "लेखा सेवा" प्रदान करने के लिए उसी शहर / जिले के भीतर अपना कार्यालय है। पता।

ईएमडी राशि के साथ सील्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट को विधिवत भरा और हस्ताक्षरित करके वैज्ञानिक ई एंड हेड को संबोधित किया जाना चाहिए और 06 जुलाई 2020, 1730 बजे या उससे पहले उपर्युक्त पते पर पहुंचना चाहिए। निर्धारित समय और तारीख के बाद प्राप्त निविदा को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। निविदा दस्तावेज हमारी वेब साइट www.bis.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

बयाना राशि: Rs.15000.00 (केवल पंद्रह हजार), विशाखापतनम, एपी में देय "भारतीय

मानक ब्यूरो" के पक्ष में डीडी

निविदा दस्तावेज जारी करना: 22 जून 2020, सोमवार

(शनिवार, रविवार और छ्ट्टियों को छोड़कर सभी दिनों में

1000hr और 1730hr के बीच)

निविदा प्रस्त्त करने की अंतिम तिथि: 06 ज्लाई 2020, सोमवार 1730 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि और समय: 08 जुलाई 2020, ब्धवार 1500 बजे

ऑफिस परिसर में

बोलियों की वैधता: तकनीकी बोली खोलने से 60 दिन।

बोलियों को जमा करने का तरीका / तरीका: BIS, विशाखापत्तनम में जनशक्ति सेवाओं के लिए एक लिफाफा सुपर-स्क्राइबिंग टेंडर, "तकनीकी बोली" और "वितीय बोली" वाले दो लिफाफे पार्टी के नाम और पते को सहन करना चाहिए और उन्हें "प्रमुख" को संबोधित किया जाएगा। विशाखापत्तनम शाखा कार्यालय, भारतीय मानक ब्यूरो, सी- ब्लॉक, प्रथम तल, उद्योग भवन, सिरिप्रम जंक्शन, विशाखापत्तनम।

ईएमडी राशि के लिए डीडी को निविदा दस्तावेज के बोली मूल्य के साथ संलग्न किया जाना चाहिए; अन्यथा, बोली के लिए निविदा दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ब्यूरो बिना किसी कारण बताए किसी भी टेंडर को स्वीकार करने / अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और अंतिम और बाध्यकारी होगा।

> वैज्ञानिक ई एंड हेड विशाखापतनम शाखा कार्यालय

निविदा दस्तावेज

अन्सूची - 1: बोलीदाताओं के लिए निर्देश

- 1. नोटिस आमंत्रित बोलियाँ:
- दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) के तहत सील बोली, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आमंत्रित की जाती है, जो पात्र चार्टर्ड एकाउंटेंट / कॉस्ट अकाउंटेंट फर्मों से "लेखा सेवा" प्रदान करने के लिए एक ही शहर / जिले के भीतर अपना कार्यालय रखती है। जैसा कि अनुसूची -4 में निर्दिष्ट है।
- 2. निविदा दस्तावेज जारी करना:
- 2.1 निविदा दस्तावेज ब्यूरो की वेबसाइट (www.bis.org.in & cpp portal) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- 2.2 बोलीदाता अपनी बोली की तैयारी और प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा। ब्यूरो, किसी भी मामले में, इन लागतों के लिए ज़िम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह बोली प्रक्रिया के आचरण या परिणाम का ही हो।
- 3. बोली / अनुबंध की भाषा: बोली की भाषा अंग्रेजी / हिंदी और सभी पत्राचार आदि में होगी, अंग्रेजी / हिंदी भाषा के अन्रूप होगी।
- 4. निविदा दस्तावेज पर स्पष्टता
- 4.1 निविदा में भाग लेने के लिए इच्छुक फर्म शनिवार,रविवार और छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में स्बह 9 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच कार्यालय का दौरा कर सकती है।
- 4.2 बोली दस्तावेज़ में कहीं भी कोई परिवर्तन और परिवर्धन की अनुमित नहीं है। यदि इनमें से कोई भी पाया जाता है, तो बोली को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जा सकता है। किसी भी संदेह के मामले में, बोलीदाता को बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि से सात (7) दिनों पहले लिखित में स्पष्टीकरण मांगना चाहिए।
- 4.3 निविदा के जारी होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा दस्तावेज में किए गए किसी भी बदलाव को बोली लगाने से पहले बोली में उसी को शामिल करने के लिए कोरिगेंडम / परिशिष्ट के रूप में भावी बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।
- 5. बोलियों की वैधता:
- बोलियाँ अपने उद्घाटन की तारीख से अन्सूची -4 में निर्दिष्ट अविध के लिए मान्य होंगी।
- 6. सबसे कम पैसा / बोली स्रक्षा:
- 6.1 बोलीदाता ब्यूरो के साथ अनुसूची ४ में दर्शाई गई राशि को ब्याज मुक्त जमा राशि (EMD) के रूप में जमा करेगा। बयाना राशि जमा की जाएगी भारतीय मानक ब्यूरो के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय विशाखापतनम।
- 6.2 बयाना राशि जमा करने में विफलता या चूक बोली को अयोग्य घोषित करेगी और ब्यूरो को इस तरह की अयोग्य बोली (ऑ) पर विचार करने से बाहर कर देगा। 6.3 बोलीदाता अपनी बोली को निरस्त नहीं कर सकता है या बोली की वैधता अविध के दौरान ब्यूरो की सहमित के बिना उसके नियमों और शर्तों को अलग-अलग कर सकता है। यदि बोली लगाने वाला बोली को रदद करता है या उसके नियम या शर्तों को बदलता है, तो उसके द्वारा जमा की गई धनराशि ब्यूरों को उसके अन्य अधिकारों और उपायों के लिए पूर्वाग्रह के बिना जब्त कर ली जाएगी और बोली लगाने वाले को "लेखा प्रदान करने के लिए ब्यूरों को बोली प्रस्तुत करने के लिए विच्छेदित किया जाएगा। इस तरह के निरसन की तारीख से प्रभावी अगले चौबीस (24) महीनों के दौरान सेवाएं "। 6.4 यदि सफल बोलीदाता निर्धारित समय सीमा में प्रदर्शन सुरक्षा का भुगतान नहीं करता है या समझौते के बांड पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है, तो उसका बयाना धन जमा ब्यूरों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। 6.5 सफल बोलीदाता द्वारा ब्यूरों को आवश्यक प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान करने के बाद असफल बोलीदाता का अर्जित धन वापस कर दिया जाएगा और जो भी पहले हो, बोली की वैधता अविध की समाप्ति के तीस (30) दिनों के भीतर या अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा।
- 7. योग्य बोलीदाता केवल वे बोलीदाता, जो अनुसूची -4 में उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, "लेखा सेवा" प्रदान करने के लिए अपनी बोली जमा करने के लिए पात्र हैं।
- 8. दरों को उद्धृत कैसे किया जाए
- 8.1 बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह अनुसूची 3 के अनुसार आने वाली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी दरों पर काम करे। बोलीदाता को अपनी बोली की शुद्धता और पर्याप्तता और संलग्न अन्सूचियों में उद्धृत दरों के अनुसार बोली लगाने से पहले खुद को संत्ष्ट करने के लिए समझा जाएगा, जो

अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, अनुबंध और सभी मामलों और चीजों के तहत अपने सभी दायित्वों को कवर करेगा। अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

- 8.2 वित्तीय बोली सभी करों से अनन्य होगी। जेब खर्च / कन्वेक्शन चार्ज आदि में से प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है।
- 9. सबमिशन ऑफ़ बिड
- 9.1 शेड्यूल -4 में संकेत के रूप में पूरी बोली प्राप्त की जाएगी, वही बोली बॉक्स में या डाक द्वारा जमा की जाएगी जो निर्दिष्ट समय और तारीख से पहले निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचती है। पोस्ट में स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट शामिल हैं। 9.2 ई-मेल या फैक्स ऑफ़र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- 10. प्रस्त्त करने की अंतिम तिथि
- 10.1सील किए गए पते निविदा दस्तावेज के अनुसूची ४ में निर्दिष्ट समय और तारीख से अधिक नहीं बाद में निर्दिष्ट पते पर प्राप्त किए जाएंगे। बोलियों की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, ऐसी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बोली लगाने वाले को वापस भेज दिया जाएगा। 10.2 इस स्थिति में कि बिड प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, यह ऑफर अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय तक प्राप्त किए जाएंगे।
- 11. प्रस्ताव का संशोधन और निकासी प्रस्तुत करने के बाद बोलीदाता अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है, बशर्ते कि वापसी की लिखित सूचना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि और समय से पहले ब्यूरो को प्राप्त हो।
- 12. बोली दस्तावेज की सामग्री
- 12.1 बोलियों को दो-बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) में आमंत्रित किया जाता है। पूरी की गई बोली "लेखा सेवाओं के लिए निविदा" को सुपर-स्क्राइब करते हुए, सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी।
- 12.2 लिफाफा नंबर 1 (तकनीकी बोली):

12.2.1 तकनीकी बोली मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्त्त किए जाने हैं:

क्र। सं।	विशेष	दस्तावेज संलग्न किया जाना है
1.	विशाखापतनम में देय "भारतीय मानक ब्यूरो" के पक्ष में निविदा दस्तावेज की अनुसूची -4 में दी गई राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ईएमडी	
2.	बिडर (फर्म) का नाम, कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल, पैन नंबर, सेवा कर नंबर आदि।	जानकारी अनुलग्नक -2 में प्रस्तुत की जाएगी।
3.	भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान से अभ्यास का प्रमाण पत्र / चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 / लागत और वर्क्स अकाउंटेंट अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत भारत के संस्थान क्रमशः पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए	प्रैक्टिस सर्टिफिकेट की कॉपी कॉपी।
4.	तीन सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केंद्रीय या राज्य) / प्राइवेट को लेखा सेवा प्रदान करने में कम से कम तीन साल का अनुभव। लिमिटेड पिछले 10 वर्षों के दौरान फर्म।	जानकारी अनुलग्नक -3 में प्रस्तुत की जाएगी। संतोषजनक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रतियां कॉपी करें 131
5.	पिछले तीन वर्षों के लिए फर्म के आयकर रिटर्न को संलग्न किया जाना चाहिए	सन्दर्भ -2 देखें। रिटर्न की कॉपी संलग्न करें
6.	पिछले तीन वर्षों की फर्म का सर्विस टैक्स रिटर्न संलग्न किया जाना चाहिए	सन्दर्भ -2 देखें। रिटर्न की कॉपी संलग्न करें
7.	ब्लैक-लिस्टिंग और / या मुकदमों के संबंध में एक घोषणा	जानकारी संलग्न प्रारूप में दी जानी है। (अनुबंध -4)

12.2.2 एक फर्म के मामले में, प्रत्येक भागीदार या पावर ऑफ अटॉर्नी धारक बोली पर हस्ताक्षर करेगा। बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पावर ऑफ अटॉर्नी की सत्यापित प्रतियां बोली के साथ संलग्न की जाएंगी। सभी भागीदारों द्वारा अटॉर्नी की शक्ति पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

- 12.2.3 सभी पृष्ठों और चिपकाई गई पर्चियों पर बिडर द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और बोली दस्तावेज़ के सेट से कोई पृष्ठ नहीं जोड़ा या हटाया जाएगा। विधिवत हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज को स्वीकृति के टोकन के रूप में बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना है;
- 12.3 लिफ़ाफ़ा नंबर 2 (वितीय बोली): इस लिफाफे में अनुसूची -5 में दिए गए प्रारूप के अनुसार वितीय बोली शामिल होगी, जो प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत रूप से भरी जाएगी और आरंभ की जाएगी और बोलीदाता द्वारा बिड के निर्धारित स्थानों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। खण्ड 8 में निहित निर्देशों पर ध्यान दिया जा सकता है।
- 12.4 कवरिंग लिफाफा: दोनों लिफाफे 1 और 2 दोनों को एक आम सीलबंद लिफाफे सुपर-स्क्रिबिंग में "लेखा सेवाओं के लिए निविदा" और नीचे बाईं तरफ बोलीदाता के नाम और पते के साथ रखा जाएगा।
- 13. बिडर द्वारा नोट किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (ए) वित्तीय बोली को उपयुक्त स्थानों पर शब्दों और आंकड़ों दोनों में लिखा जाना चाहिए। (बी) बोलीदाता बोली को प्रस्तुत करेगा जो अनुसूची -4 में निर्धारित प्रत्येक शर्त को संतुष्ट करता है, यह असफल कि बोली अस्वीकार की जाएगी। सशर्त बोलियाँ अस्वीकार कर दी जाएंगी।

14. भ्रष्ट या धोखेबाज आचरण

- 14.1 ब्यूरों को आवश्यकता है कि इस बोली के तहत बोली लगाने वाले लेखा सेवा प्रदान करने और ऐसे अनुबंधों के निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें। तदनुसार, ब्यूरो इस प्रकार निर्धारित शर्तों को पिरभाषित करता है: (ए) "भ्रष्ट प्रथा" का अर्थ है, अनुबंध निष्पादन में सार्वजनिक अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए मूल्य के कुछ भी की पेशकश, देना, प्राप्त करना या याचना करना; तथा (ख) "धोखाधड़ी वाली प्रथा" का अर्थ है, ब्यूरों की अवहेलना के लिए एक अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों का गलत विवरण देना और इसमें बोलीदाताओं (बोली लगाने से पहले या बाद में) के बीच मिलीभगत प्रथा शामिल है जो कृत्रिम गैर पर कीमतों की स्थापना के लिए डिज़ाइन की गई है -प्रतिस्पर्धी स्तर और मुक्त और खुली प्रतियोगिता के लाभ से ब्यूरों को वंचित करना।
- 14.2। ब्यूरो पुरस्कार के लिए एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा, यदि यह निर्धारित करता है कि पुरस्कार के लिए अनुशंसित बिडर ने अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लगे हुए हैं। ब्यूरो एक फर्म को अयोग्य घोषित करेगा अनिश्चित काल के लिए या समय की एक निश्चित अविध के लिए, यदि यह किसी भी समय एक अनुबंध से सम्मानित किया जाए निर्धारित करता है कि फर्म भ्रष्ट और कपटपूर्ण प्रथाओं में संलग्न है के लिए प्रतिस्पर्धा, या निष्पादित करने में, एक अनुबंध।
- 15. बोली खोलना निविदा सूचना में निर्दिष्ट समय और तारीख से पहले प्राप्त बोली को इस रूप में खोला जाएगा अनुसूची -4 (यदि संभव हो) में उल्लिखित कार्यालय में निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार बिडर्स या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति जो बने रहना चाहते हैं निर्धारित समय पर, उद्घाटन के दिन उपस्थित रहें।
- 16. बोली लगाने वालों की शॉर्टलिस्टिंग ब्यूरो केवल उन बोलीदाताओं के तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं और वित्तीय बोलियों को सूचीबद्ध करेगा, जो तकनीकी बोलियों में अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें तिथि और समय पर खोला जाएगा। सूचित।
- 17. वित्तीय बोलियों का खुलना ब्यूरो अधिसूचित तिथि पर लिफाफा नंबर 2 (वित्तीय बोली) खोलेगा, और मूल्य अनुसूची (अनुसूची -5) में बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरों को पढ़ा नहीं जाएगा। कार्य L-1 बोलीदाता को दिया जाएगा।
- 18. बोली की स्वीकृति ब्यूरो की सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली की स्वीकृति दी जाएगी। ब्यूरो सबसे कम या किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। ब्यूरो किसी भी कारण बताए बिना प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित बोली में सफल बोलीदाता को स्वीकृति की बोली लगाई जाएगी।
- 19. अनुबंध का नवीकरण प्रारंभ में, अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा जिसे वार्षिक आधार पर आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, अनुबंध सेवाओं के संतोषजनक प्रदर्शन और ब्यूरो और ठेकेदार के बीच आपसी सहमति के अधीन; एक ही फीस पर, अनुबंध की शर्तें और शर्त।

- 20. गोपनीय होने की प्रक्रिया परीक्षा, मूल्यांकन और बोलियों की तुलना और अनुबंध के पुरस्कार से संबंधित जानकारी बोलीदाता या किसी अन्य व्यक्ति को आधिकारिक प्रक्रिया से संबंधित नहीं होने तक खुलासा नहीं किया जाएगा जब तक कि सफल बोलीदाता को प्रस्कार की घोषणा नहीं की गई हो।
- 21. प्रदर्शन सुरक्षा अनुबंध के यथोचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए, अनुसूची -4 में इंगित राशि के लिए ब्याज मुक्त प्रदर्शन सुरक्षा, अनुबंध से सम्मानित सफल बोलीदाता से प्राप्त की जाएगी, इसके पंजीकरण की स्थिति के बावजूद, आदि प्रदर्शन सुरक्षा से सुसन्जित किया जाएगा। एनईएफटी / आरटीजीएस या एक खाता अदायगी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में or भारतीय मानक ब्यूरो 'के पक्ष में Bank विशाखापतनम' में देय या एनेक्सचर 1 में दर्शाए गए प्रारूप के अनुसार बैंक गारंटी।
- 22. अनुबंध दस्तावेज का निष्पादन
- 22.1 प्रदर्शन सुरक्षा की जमा राशि के बाद सफल बोलीदाता, उचित मूल्य के स्टांप पेपर पर बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न फॉर्म में डुप्लिकेट को निष्पादित करने के लिए आवश्यक है। वर्तमान में उचित मूल्य रु .100 / - है। बोली की स्वीकृति की तारीख से 10 दिनों के भीतर समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अनुबंध, अनुबंध की शर्तों (सीओसी) और सीओसी में निर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।
- 22.2 यह सफल बोलीदाता पर लागू होगा कि वह समझौते के लिए स्टांप ड्यूटी, कानूनी और वैधानिक शुल्क अदा करे, जैसा कि फांसी की तारीख पर लागू होता है।
- 23. ब्यूरो के अधिकार
- 23.1 ब्यूरो इस बोली में लगाए गए कार्य के दायरे को उपयुक्त रूप से बढ़ाने / कम करने का अधिकार रखता है।
- 23.2 निविदा दस्तावेज में किसी भी खंड की व्याख्या या अनुबंध की शर्तों में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, ब्यूरो द्वारा खंडों की व्याख्या अंतिम और सभी दलों पर बाध्यकारी होगी।
- 24. अनुबंध का हिस्सा बनने की सूचना

निविदा सूचना और ये निर्देश अनुबंध का हिस्सा बनेंगे।

अन्सूची -

2: अन्बंध की शर्तें 1 कई। परिभाषाएं:

- i) 'कॉन्ट्रैक्टर' से आशय उस व्यक्ति या फर्म से होगा, जिसमें संविदा शामिल है या नहीं, और ऐसे व्यक्ति या ऐसी फर्म के उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो ऐसी फर्म के उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी हों और ऐसे व्यक्ति या फर्म के असाइन किए गए नियमों की अनुमति हो।।
- ii) to सेवाएँ 'का अर्थ होगा कि ठेकेदार को ब्यूरो द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ जैसा कि अनुबंध में कहा गया है और इसमें अन्य सेवाएँ शामिल होंगी जो निविदा दस्तावेज में निर्धारित हैं।
- iii) 'अनुबंध' का मतलब होगा और निविदा सूचना, बोली लगाने वालों को निर्देश, अनुबंध की शर्तें और शर्तें, स्वीकृति पत्र, प्रस्ताव, समझौते और पारस्परिक रूप से स्वीकृत शर्तों को ब्यूरो द्वारा बोलीदाता के साथ एक्सचेंज किए गए और अन्य किसी भी रूप में स्वीकार किया जाएगा। दस्तावेज़ अनुबंध का हिस्सा है।
- iv) अन्बंध राशि 'का अर्थ ठेकेदार द्वारा बोली में दी गई राशि और ब्यूरो द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
- v) 'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ होगा कि इस अनुबंध के तहत ब्यूरो की ओर से कार्य करने के लिए ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी।
- vi) 'सरकार' का अर्थ केंद्र सरकार होगा।
- vii) ब्यूरो 'का अर्थ होगा भारतीय मानक ब्यूरो, 1986 के तहत स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो।
- viii) General महानिदेशक 'का अर्थ ब्यूरो के महानिदेशक से होगा, जो कि उस समय और उसके उत्तराधिकारी के पद पर आसीन होंगे और उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी शामिल
- ix) स्वीकृत 'का अर्थ लिखित में अनुमोदित होगा, जिसमें पिछली मौखिक अनुमोदन की पुष्टि शामिल है और अनुमोदन "का मतलब लिखित में अनुमोदन होगा, जिसमें उपरोक्त शामिल हैं।
- x) विनिर्देशन 'का अर्थ निविदा में निर्दिष्ट विनिर्देशन है। ऐसे मामले में जहां कोई विशेष विनिर्देश नहीं दिया गया है, ब्यूरो के संबंधित विनिर्देश, जहां एक मौजूद है, लागू होगा।

2. अनुबंध के पक्ष:

अनुबंध के पक्ष वे फर्म होंगे, जिनके प्रस्ताव को ब्यूरो ने स्वीकार कर लिया है; और ब्यूरो।

किसी फर्म के अन्य व्यक्तियों की ओर से अनुबंध का हिस्सा बनाने वाले प्रस्ताव या किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति / व्यक्ति या फर्म को बाध्य करने के लिए उचित अधिकार माना जाएगा, जो सभी मामलों में संबंधित हो। अनुबंध। यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, तो ब्यूरो किसी अन्य सिविल / आपराधिक उपचार के पक्षपात के बिना, अनुबंध को समाप्त कर सकता है और हस्ताक्षरकर्ता को पकड़ सकता है और / या ऐसी समाप्ति के लिए सभी लागतों और क्षिति के लिए उत्तरदायी होगा।

3. प्रदर्शन सुरक्षा

अनुबंध के उचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए, अनुसूची -4 में दी गई राशि के लिए ब्याज मुक्त प्रदर्शन सुरक्षा, 'भारतीय मानक ब्यूरो' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के रूप में फर्म द्वारा जमा की जा सकती है। 'विशाखापत्तनम' या बैंक गारंटी अनुबंध -1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार।

इस अनुबंध या किसी अन्य खाते की शर्तों के तहत फर्म से देय / वसूली योग्य कोई भी राशि, प्रदर्शन सुरक्षा की राशि से काटी जा सकती है। यदि ऐसी किसी कटौती के कारण प्रदर्शन सुरक्षा की मात्रा कम हो जाती है, तो ठेकेदार, ब्यूरो से मांग की सूचना मिलने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर, घाटा कम कर देता है। मामले में, फर्म द्वारा बैंक गारंटी के माध्यम से सुरक्षा जमा की जाती है, तब किसी भी उल्लंघन या असफलता के लिए या अनुबंध के उल्लंघन या विफलता या अनुबंध के निर्धारण के लिए कोई जुर्माना, जो पहले ब्यूरो को भुगतान नहीं किया गया है, तुरंत उक्त द्वारा भुगतान किए जाने पर भुगतान किया जाएगा। उक्त गारंटी के संदर्भ में ब्यूरो के तहत बैंकर।

यदि इस अनुबंध की अविध के दौरान, फर्म इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के कारण और विफादार प्रदर्शन के डिफ़ॉल्ट में है, या किसी अन्य बकाया राशि के लिए जुर्माना, जुर्माना और किसी अन्य राशि की वसूली के माध्यम से फर्म की वजह से बकाया है, ब्यूरो अपने अन्य अधिकारों और उपायों के पक्ष में या लागू कानून के पक्षपात के बिना, प्रदर्शन स्रक्षा को बनाए रखने, बनाए रखने और उचित करने का हकदार होगा।

इसमें उल्लिखित कुछ भी नहीं है कि ब्यूरो द्वारा ठेकेदार से एक सूट या अन्य किसी भी तरह के नुकसान, क्षति, लागत, शुल्क और खर्चों को उक्त के रूप में वसूल किया जाए, यदि प्रदर्शन सुरक्षा की राशि से अधिक होगी।

प्रदर्शन सुरक्षा को तब तक बरकरार रखा जाएगा, जब तक कि सभी पक्षों के बीच सभी विवाद ब्यूरो की संपूर्ण संतुष्टि के लिए तय नहीं हो जाते। इस अनुबंध की पूर्णता तिथि या समाप्ति तिथि के बाद प्रदर्शन सुरक्षा ब्यूरो दवारा साठ दिनों के भीतर फर्म को वापस कर दी जाएगी, बशर्ते कि ठेकेदार पर ब्यूरो के बकाया दावे न हों।

4. अन्बंध दस्तावेज:

अनुबंध बनाने वाले कई अनुबंध दस्तावेजों को एक पक्ष द्वारा दूसरे को एक तरह से समझाया जाएगा, लेकिन अस्पष्टता या विसंगतियों के मामले में एक ही समझाया जाएगा और ब्यूरो के सक्षम प्राधिकरण द्वारा सामंजस्य स्थापित किया जाएगा जो कि आवश्यक आवश्यक निर्देश जारी करेगा और ऐसे आयोजन में जब तक अन्यथा अनुबंध में प्रदान नहीं किया जाता है, अनुबंध बनाने वाले दस्तावेजों की प्राथमिकता निम्नानुसार होगी:

- i) समझौता
- ii) अन्बंध की शर्तें
- iii) निविदा सूचना और निविदा दस्तावेज
- iv) स्वीकृति पत्र।
- v) अन्बंध के संबंध में पार्टियों के बीच किसी अन्य पत्राचार का आदान-प्रदान।
- vi) ठेकेदार का प्रस्ताव

5. तरल नुकसान

यदि फर्म अनुबंध में निर्दिष्ट सेवाओं का प्रदर्शन नहीं करती है, तो अनुबंध के तहत उसके अन्य उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, अनुबंध मूल्य से कटौती, तरल नुकसान के रूप में, प्रत्येक के लिए 1000 रुपये (केवल एक हजार) के बराबर राशि। रुपये के अधिकतम दंड के अधीन सेवा में डिफ़ॉल्ट। 10,000 / - (केवल दस हजार)। निरंतर चूक की स्थिति में ब्यूरो अनुबंध को समाप्त करने पर विचार कर सकता है।

6. जोखिम

यदि फर्म काम के दायरे में निर्धारित सेवाओं को प्रदान करने में विफल रहती है, तो ब्यूरो को फर्म के जोखिम, लागत और जिम्मेदारी पर वैकल्पिक स्रोतों से समान खरीद का अधिकार है।

7. भ्गतान की शर्तें और अन्बंध का नवीनीकरण

सेवाओं के प्रति भुगतान ब्यूरो द्वारा सीधे मासिक आधार पर फर्म को काम के संतोषजनक समापन के अधीन किया जाएगा। उद्धृत दरें सभी लागू करों से अनन्य होंगी। लागू कर अतिरिक्त होंगे। जेब खर्च / कनवेंस चार्ज आदि की प्रतिपूर्ति नहीं होगी।

अनुबंध से उत्पन्न बिलों का भुगतान सीधे फर्म के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन होगा, अर्थात्, प्रस्तुत बिल की सकल राशि से मौजूदा दरों पर उपकर / अधिभार के साथ स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।

ब्यूरो किसी भी दावे के तहत ठेकेदार को किसी भी राशि के लिए समय-समय पर बनाए रखने और स्थापित करने के अधिकार सुरक्षित रखता है, जो कि ब्यूरो के पास इस या किसी अन्य अनुबंध / समझौते के तहत हो सकता है।

प्रारंभ में, अनुबंध एक वर्ष की अविध के लिए मान्य होगा जिसे वार्षिक आधार पर आगे की अविध के लिए बढ़ाया जा सकता है, अनुबंध सेवाओं के संतोषजनक प्रदर्शन और ब्यूरो और ठेकेदार के बीच आपसी सहमित के अधीन; जब अनुबंध के वैधानिक कार्य, नियम और शर्त में कोई परिवर्तन होता है, तो उसी शुल्क या शुल्क को लागू किया जा सकता है।

8. क्षतिपूर्ति: फर्म किसी भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को, जो अन्बंध के परिणाम में उत्पन्न हो सकती है या क्षति के लिए और सभी दावों, मांगों, कार्यवाही, नुकसान, लागत, शुल्क के विरुद्ध सभी नुकसानों और दावों के खिलाफ ब्यूरो की निंदा और क्षतिपूर्ति करेगी। और समय-समय पर संशोधित विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों के तहत या संबंध में जो भी खर्च होता है। ठेकेदार किसी भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि के उल्लंघन या इस तरह के अन्य सांविधिक उल्लंघन के परिणामस्वरूप सभी दावों, नुकसान, लागत हर्जाना, व्यय, कार्रवाई सूट और अन्य कार्यवाही के खिलाफ ब्यूरो की निंदा, रक्षा और बचाव करेगा। 9. भ्रष्ट या धोखेबाज प्रथा ब्यूरो की आवश्यकता है कि इस बोली के तहत बोली लगाने वाले ऐसे अन्बंधों के निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें। तदन्सार, ब्यूरो इस प्रकार निर्धारित शर्ती को परिभाषित करता है: (ए) "भ्रष्ट व्यवहार" का अर्थ है, अन्बंध निष्पादन में सार्वजनिक अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए मूल्य के किसी भी चीज की पेशकश, देना, प्राप्त करना या याचना करना; तथा (ख) "धोखाधड़ी वाली प्रथा" का अर्थ है, ब्यूरो की अवहेलना के लिए एक अन्बंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों का गलत विवरण देना और इसमें बोलीदाताओं (बोली लगाने से पहले या बाद में) के बीच मिलीभगत प्रथा शामिल है जो कृत्रिम गैर पर कीमतों की स्थापना के लिए डिज़ाइन की गई है -प्रतिस्पर्धी स्तर और मुक्त और खुली प्रतियोगिता के लाभ से ब्यूरो को वंचित करना। ब्यूरो प्रस्कार के लिए एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित करता है कि ठेकेदार अनुबंध की अविध के दौरान या उसके पहले भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लगा हुआ है; ब्यूरो ठेकेदार को अनुबंध से सम्मानित करने के लिए अयोग्य ठहराएगा, या तो अनिश्चित काल के लिए या 24 महीने की अविध के लिए ठेकेदार को अयोग्य घोषित करने की तिथि से, अगर यह किसी भी समय यह निर्धारित करता है कि ठेकेदार प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट और धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है। या अन्बंध निष्पादित करने में।

10. अनुबंध का निलंबन ब्यूरो किसी भी समय इस अनुबंध को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए किसी भी समय स्वतंत्र हो जाएगा। इस अन्बंध की अपर्याप्त सेवा या कदाचार के लिए फर्म के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के लिए 24 घंटे का नोटिस देने पर, जिस पर निर्णय ब्यूरो अंतिम होगा और इसके कारण फर्म किसी भी बदलाव या म्आवजे का हकदार नहीं होगा। फर्म की ओर से डिफ़ॉल्ट की एक घटना, जिसके परिणामस्वरूप फर्म अन्बंध के तहत अपने सेवा दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है, को एक गंभीर डिफ़ॉल्ट के रूप में माना जाएगा, और कहा जाता है कि निम्नलिखित कारणों में से किसी के कारण हुआ है: (ए) ब्यूरो की राय में, फर्म ने अनुबंध को रद्द कर दिया है, (बी) उचित बहाने के बिना इस अन्बंध के अन्सार सेवाओं को श्रू करने में विफल रहा है, या पूरा होने के लिए निर्धारित समय के भीतर सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा है या प्रदान नहीं करता है; (ग) ब्यूरो की पिछली चेतावनी के बावजूद, अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्वों का पालन करने के लिए लिखित रूप में, या अन्यथा लगातार या झंडे की उपेक्षा करना; (d) निरीक्षण के दौरान सेवाओं की ग्णवत्ता में गंभीर विसंगति देखी जाती है। (() फर्म, ब्यूरो के निर्णय में, अन्बंध के तहत सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा में या बाहर ले जाने में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लगी ह्ई है। (च) फर्म स्वैच्छिक या अनैच्छिक दिवालियापन, या परिसमापन में प्रवेश करती है; (छ) फर्म दिवालिया हो जाती है; (ज) अपनी संपत्ति के किसी भी पर्याप्त हिस्से पर एक रिसीवर, प्रशासक, ट्रस्टी या परिसमापक नियुक्त किया जाता है; (i) कोई भी कार्य किया जाता है या घटना ठेकेदार या उसकी संपत्ति के संबंध में होती है, जो कि किसी भी लागू कानून के तहत पूर्वगामी कृत्यों या घटनाओं के किसी भी समान प्रभाव पड़ता है; (जे) ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना फर्म (कंसोर्टियम के मामले में) ने कंसोर्टियम की संरचना और / या कंसोर्टियम के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी को संशोधित किया है।

11. ब्यूरो द्वारा समाप्ति ब्यूरो के लिए यह भी वैध होगा कि वह बिना किसी कारण बताए किसी भी समय समझौते को समाप्त कर दे और नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी न हो, जो फर्म को ऐसे समाप्ति के कारण भुगतना पड़ सकता है, फर्म को ब्यूरो द्वारा लिखित रूप में 15 दिन का नोटिस देकर इस तरह की समाप्ति के लिए। इस तरह की कोई भी समाप्ति अनुबंध के तहत ब्यूरो के किसी अन्य अधिकार के पक्षपात के बिना होगी।

12. फर्म को समाप्त करने का अधिकार यदि फर्म अनुबंध अवधि के अंत से पहले अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय लेती है, तो फर्म को कम से कम 60 दिनों की अग्रिम सूचना देनी होगी। यदि फर्म 60 दिनों की पूर्व सूचना के बिना समझौते को समाप्त कर देती है, तो पूरी स्थायी सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।

3. फोर्स मेजर क्लॉज:

यदि किसी भी समय इस अन्बंध की निरंतरता के दौरान, इस अन्बंध के तहत किसी भी दायित्व के किसी भी पक्ष द्वारा या पूरे पक्ष में प्रदर्शन को किसी भी युद्ध, शत्रुता, सार्वजनिक दुश्मन के कार्य, महामारी, नागरिक के कारणों से रोका या विलंब किया जाएगा। हंगामा, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, संगरोध प्रतिबंध, हमले, तालाबंदी या भगवान के कार्य (बाद में इस तरह के कृत्यों के रूप में संदर्भित) इस तरह की घटना के होने की सूचना एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को 21 दिनों की तारीख से दी जाती है ऐसा होने पर, न तो पार्टी इस तरह के आयोजन के कारणों से होगी, न ही इस अन्बंध को समाप्त करने की हकदार होगी और न ही पार्टी के पास इस तरह के गैर-प्रदर्शन या प्रदर्शन में देरी के संबंध में दूसरे के खिलाफ नुकसान के लिए कोई दावा होगा, और अनुबंध के तहत प्रसव होगा। इस तरह की घटना के समाप्त हो जाने के बाद जैसे ही प्रैक्टिकल होना श्रू हो जाता है या अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और ब्यूरो के महानिदेशक का निर्णय होता है कि क्या डिलीवरी को फिर से श्रू किया गया है या नहीं, बी ई अंतिम और निर्णायक, प्रमाणित है कि यदि इस अन्बंध के तहत किसी भी दायित्व के पूरे या कुछ हिस्सों में प्रदर्शन को रोका जाता है या 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए किसी भी ऐसी घटना के कारण देरी होती है, या तो पार्टी अपने विकल्प पर अन्बंध समाप्त कर सकती है, बशर्ते कि डायरेक्टर जनरल द्वारा तय की जाने वाली कीमत पर ब्यूरो ठेकेदार से अधिग्रहित करने के लिए स्वतंत्र होगा, जो अंतिम, सभी अप्रयुक्त, अप्रमाणित और स्वीकृत सामग्री, ठेकेदार के कब्जे में निर्माण के दौरान घटकों और द्कानों को खरीदा जाएगा। इस तरह की समाप्ति के समय या इस तरह के हिस्से के रूप में ब्यूरो ऐसी सामग्रियों को छोड़कर फिट हो सकता है, घटकों और द्कानों को खरीदा है, क्योंकि ठेकेदार ब्यूरो च्नाव की सहमति के साथ बनाए रख सकते हैं।

14. गोपनीयता

ठेकेदार ब्यूरो की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को इस अनुबंध के तहत सेवाएं प्रदान करते समय प्राप्त मालिकाना ज्ञान का विभाजन या ख्लासा नहीं करेगा।

15. प्रचार

फर्म द्वारा किसी भी प्रचार जिसमें ब्यूरो के नाम का उपयोग किया जाना है, केवल ब्यूरो की स्पष्ट लिखित अन्मित के साथ किया जाना चाहिए।

16. विवाद और मध्यस्थता

ब्यूरो और फर्म सीधे अनौपचारिक बातचीत, अनुबंध के संबंध में या उनके बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी असहमति या विवाद को सौहार्दपूर्वक हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद जिसे हल नहीं किया जा सकता है, तो उसे अनुसूची -4 में इंगित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को भेजा जाएगा। भारतीय पंचाट और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे।

17. सेवा की सूचना का तरीका

कॉन्ट्रैक्ट में जिन पार्टियों को संदर्भित किया जाता है, वे लिखित रूप में ही प्रभावी होते हैं। एक सूचना केवल तभी प्रभावी होगी जब इसे वितरित किया जाएगा (भारतीय अनुबंध अधिनियम के संदर्भ में)। जब तक अन्यथा अनुबंध में प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक सभी नोटिस ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। मामले में, नोटिस को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अंतिम जात स्थान या ठेकेदार के व्यवसाय में भेजा जाता है, यह माना जाता है कि पोस्ट के साधारण पाठ्यक्रम में उस तारीख पर सेवा दी गई होगी जब उन्हें सेवा प्रदान की गई थी या वितरित की गई थी। यह।

18. शासी भाषा

पूरे अन्बंध और संचार के लिए शासी भाषा केवल अंग्रेजी होगी।

19. कानून:

अन्बंध भारतीय कानूनों के तहत शासित और व्याख्यायित किया जाएगा।

20. कानूनी अधिकार क्षेत्र

कॉन्ट्रैक्ट के प्रदर्शन या उल्लंघन से संबंधित कोई भी मुकदमा या अन्य कार्यवाही किसी भी विधि न्यायालय में ठेकेदार द्वारा दायर या ली नहीं जाएगी, सिवाय सक्षम न्यायालयों के जो केवल विशाखापत्तनम की स्थानीय सीमाओं के भीतर अधिकार क्षेत्र वाले हों।

21. स्टाम्प श्लक:

ठेकेदार संविदा के संबंध में कोई भी स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क वहन करेगा।

अन्सूची -3: लेखा सेवा का कार्य

सामान्य रूप से लेखांकन सेवाओं में शामिल होंगे: टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बीआईएस की इस शाखा का नियमित लेखा कार्य करना / लेखांकन के सामान्य सिद्धांत और मुख्यालय के दिशा निर्देशों / निर्देशों के अनुसार किसी अन्य सॉफ्टवेयर के अनुसार समयबद्ध उचित कार्रवाई करना। समय-समय पर वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार। विशेष रूप से, लेखांकन सेवाओं में शामिल होंगे:

- 1. सभी लेनदेन को टैली सॉफ्टवेयर / किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर में रखा जाएगा और रिपोर्ट समय-समय पर अंतराल, महीने-वार, वर्ष-वार आदि पर उत्पन्न की जाएगी और रिकॉर्ड का उचित बैक-अप बनाए रखा जाएगा।
- 2. खातों की लेजर बुक (ओं) को बनाए रखा और आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन किया जाएगा।
- 3. बैंक सुलह बयान की तैयारी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक सुलह बयान में किसी भी लंबे समय से लंबित बकाया डेबिट या क्रेडिट प्रविष्टियाँ नहीं होनी चाहिए।
- 4. निर्धारित प्रारूप में एसेट रजिस्टरों का रखरखाव, एसेट्स में सभी जोड़ ठीक से दर्ज किए जाने चाहिए, निर्धारित दरों पर प्रदान की जाने वाली मूल्यहास और निंदा की गई संपत्तियों के निपटान के लिए प्रविष्टियां भी संपत्ति रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए।
- 5. हर महीने की 15 तारीख को या उससे पहले के सभी ट्रायल एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के विधिवत प्नर्गठन के साथ ट्रायल बैलेंस जनरेट किया जाना चाहिए।
- 6. 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ट्रायल बैलेंस को अंतिम रूप देना, लेखा विभाग-मुख्यालय द्वारा जारी लेखा के वार्षिक समापन पर परिपत्र में दिए गए सभी अनुसूचियों के साथ। 7. मुख्यालय द्वारा जारी लेखा के वार्षिक समापन पर परिपत्र में दिए गए प्रारूप में 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रसीद और भुगतान खाते की तैयारी। 8. टीडीएस विवरण तैयार करना और टीडीएस के समय पर भुगतान के लिए शाखा की सहायता करना। संबंधित पक्षों को टीडीएस प्रमाण पत्र भी निर्धारित तारीखों द्वारा जनरेट किया जाएगा और टीडीएस रिटर्न भी निर्धारित तिथि के भीतर दाखिल किया जाएगा। 9. जीएसटी कर विवरण तैयार करना और उपलब्ध इनपुट क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए जीएसटी

के समय पर भुगतान के लिए शाखा की सहायता करना। जीएसटी रिटर्न भी निर्धारित तिथि के भीतर दाखिल किया जाएगा। 10. समय-समय पर एपी (राज्य) अधिसूचना के अनुसार हर महीने कर्मचारी के पेशेवर कर विवरण की तैयारी और यदि आवश्यक हो तो पेशेवर कर के समय पर भुगतान और रिटर्न दाखिल करने के लिए शाखा की सहायता करना। 11. सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य करों का विवरण, भुगतान, रिटर्न दाखिल करना आदि। समय समय पर 12. आंतरिक लेखापरीक्षा, एजी ऑडिट, जीएसटी, व्यावसायिक कर, आयकर आदि के सभी प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने में सहायता करना।

- 13. समय-समय पर सरकार की अधिसूचना के अनुसार, जीएसटी, व्यावसायिक कर और आयकर से संबंधित मामलों पर राय प्रदान करना।
- 14. खातों / सांविधिक आवश्यकताओं आदि से संबंधित कोई अन्य कार्य सौंपा गया
- 15. लेखा कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्ति एक महीने में कम से कम 21 कार्यदिवस बीआईएस कार्यालय में उपस्थित होगा। उसी के लिए एक रिकॉर्ड शाखा कार्यालय द्वारा बनाए रखा जाएगा। फर्म का एक विरष्ठ पेशेवर सदस्य भी हर महीने शाखा का दौरा करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य मानदंड / वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किया जा रहा है।

तारीख	•
जगह:	

(टेंडरर का नाम और हस्ताक्षर जगह: फर्म की मुहर के साथ)

अनुसूची - 4:

विनिर्देशन और संबद्ध तकनीकी विवरण

- 1. न्यूनतम योग्यता मानदंड
- (i) नीचे बताई गई राशि के लिए ईएमडी को निविदा दस्तावेज के साथ या तो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में "भारतीय मानक ब्यूरो" विशाखापत्तनम में देय के पक्ष में प्रस्त्त किया जाना है। वरना, बोली नहीं मानी जाएगी।
- (ii) फर्म को व्यावसायिक सेवाएँ और प्रदान करने के लिए भारत सरकार के चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 / लागत लेखाकार अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के व्यवहार का प्रमाण पत्र होना चाहिए। संबंधित संस्था के साथ अभ्यास प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें। फर्म का कार्यालय उसी शहर / जिले के भीतर होगा
- (iii) फर्म को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक तीन वर्ष के दौरान तीन सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केंद्रीय या राज्य) / प्राइवेट लिमिटेड फर्म को लेखांकन सेवा प्रदान करनी चाहिए थी।
- (iv) पैन कार्ड की प्रति और पिछले वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न और जीएसटी रिटर्न की एक प्रति संलग्न होगी।
- (v) तैनात होने वाला व्यक्ति वाणिज्य पृष्ठभूमि से होना चाहिए और लेखा कार्य करने में टैली सॉफ्टवेयर और एमएस कार्यालय के साथ अच्छी तरह से बातचीत करना चाहिए। तैनात व्यक्ति की योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाएगी।
- (vi) ब्लैकलिस्टिंग और / या म्कदमेबाजी के संबंध में एक घोषणा (अन्बंध 4)
- 2. निविदा दस्तावेजों की उपलब्धता: जगह: विशाखापत्तनम अविध: 22 जून 2020, सोमवार को 1100 बजे
- 3. बयाना राशि जमा: रु। 15,000 / (केवल पंद्रह हजार)
- 4. प्रदर्शन स्रक्षा जमा (अन्बंध के मूल्य का 10%)
- 5. बोलियों की वैधता: 06 जुलाई 2020, सोमवार से 1730 बजे तक
- 6. बोलियां खोलना: 08 ज्लाई 2020, ब्धवार को 1500 बजे
- 7. इस निविदा / अनुबंध के लिए ब्यूरो की ओर से प्राधिकृत अधिकारी: श्री। आर। तिरुमाला राव, सी। सी। बी.आई.एस., विशाखापतनम

अनुसूची 5

वितीय बोली दस्तावेज लेखांकन सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक फर्म प्रति वर्ष अपनी बोली मूल्य (लागू करों को छोड़कर) देगी:

लेखा सेवा प्रदान करने के लिए वार्षिक बोली मूल्य (लागू करों को छोड़कर) आंकड़ों में राशि: रु। शब्दों में राशि: रुपए

हमने निविदा दस्तावेज, न्यूनतम पात्रता मानदंड, कार्यक्षेत्र, और अनुबंध की सामान्य स्थिति के सभी नियमों और शर्तों का अध्ययन किया है और अनुबंध की सभी शर्तों और शर्तों के लिए सहमति व्यक्त की है। तारीख:

जगह:

(नाम और हस्ताक्षरफर्म के टिकट के साथ अधिकृत व्यक्ति)

अनुसूची - 6

= ''	
अनुबंध फार्म-समझौता	
इस समझौते को के दिन पर मेसर्स (ठेकेदार का नाम और पता) के आधार पर किया गया (बाद में अनुबंधकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो तब तक अभिव्यक्ति होगा, जब तक कि यह संदर्भ या उसके अर्थ के लिए प्रतिगामी नहीं होगा, मतलब समझा और शामिल करना चाहिए इसके एक हिस्से के उत्तराधिकारी और असाइनमेंट) भारतीय मानक ब्यूरो, C- ब्लॉक, प्रथम तल, उद्योग भवन, सिरिपुरम जंक्शन, विशाखापत्तनम। (इसके बाद BUREAU के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो अभिव्यक्ति तब तक होग जब तक कि यह संदर्भ या उसके अर्थ के लिए प्रतिरूपित न हो जाए, अन्य भाग के माध्य और इसके उत्तराधिकारियों को निर्दिष्ट और शामिल करने के लिए समझा जाए)।	,
ठेकेदार एक सेवा प्रदाता है।	
और जहां ब्यूरो एक निकाय कॉर्पोरेट है,जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। ब्यूरो का इरादा अनुबंध के आधार पर लेखा सेवा प्राप्त करना है, इसलिए सीमित / खुली निविदा जांच के माध्यम से बोलियां आमंत्रित की गई हैं।	
जहां ठेकेदार (सफल बोलीदाता) ने बोली दस्तावेज के अनुसार अपनी बोली प्रस्तुत की और बोली प्रक्रिया और अनुबंध की कीमतों पर बातचीत के लिए 'सफल बोलीदाता' के रूप में चुना गया, उसे 'स्वीकृति का पत्र' (LoA) नहीं । से सम्मानित किया गया। पर ठेकेदार को	
दोनों पार्टनर्स हेरेटो निविदा दस्तावेज की अनुसूची 2 (अनुबंध की शर्तें) में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं:	
(ठेकेदार के हस्ताक्षर / / ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर) अधिकृत प्रतिनिधि) नाम नाम	
पदनाम पता पता पतनाम	
	हि:
गवाहः (हस्ताक्षर) (हस्ताक्ष	₹)
साक्षी का नाम, साक्षी का नाम, साक्षी का नाम, पता	
पता	

अनुसूची - 7: अन्य मानक फार्म, यदि कोई हो, तो बोलीदाताओं द्वारा जमा किया जाना चाहिए।

1.	अनुलग्नक-1	बैंक गारन्टी बांड का फार्म
2.	अनुलग्नक-2	बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण
3.	अनुलग्नक-3	10 वर्षों तक चलने वाले नौकरशाही द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के प्रकारों का विवरण
4.	अनुलग्नक-4	ब्लैक-लिस्टिंग और / या के बारे में घोषणा मुकदमों

अनुलग्नक -1		
बैंक गारन्टी बांड का फार्म		
1. भारतीय मानक ब्यूरो (इसके बाद 'द ब्यूरो' कहला देने पर सहमत हुए	ता है) के विचार में	को छूट
(इसके बाद "उक्त ठेकेदार" कहा जाता है) गए एक समझौते के नियमों और शर्तों के तहत मांग		के बीच किए
(इसके बाद कहा ज	ाता है "उक्त समझौते में निहित	ा नियमों और शर्तों के
कारण ठेकेदार के लिए सुरक्षा जमा के लिए उक्त अव (Rupa तक)	नुबंध के तहत बैंक गारंटी के रूप	ा में रु।
हम,(बाद में बै	ंक के नाम से संकेत मिलता है)	
'बैंक') के अन्रोध पर		
ठेकेदार (रों) इसके द्वारा ब्यूरो को रु। से अधिक की	राशि का भुगतान करने का का किसी भी नियम या शर्तों के वि	
किसी भी उल्लंघन के कारण या नुकसान के लिए या कारण होता है।		
2. हम यहां (बैंक का नाम इंगित क के तहत देय राशि का भुगतान करने के लिए बिना पि पर यह कहते हुए कि राशि का नुकसान के कारण हो शर्तों के ठेकेदार या नियमों के उल्लंघन के कारण ब्य हुई या ठेकेदार द्वारा निष्पादित करने में विफलता वे बैंक द्वारा देय और देय राशि के संबंध में बैंक पर वे के तहत हमारा दायित्व रुपये से अधिक नहीं होने वा	केसी डिमोर के, केवल भारतीय म ता है या उक्त अनुबंध में शामि पूरो द्वारा या उसके कारण होने क कारणों से हुई है। समझौता क ति गई कोई भी माँग निर्णायक ह	नानक ब्यूरो की एक मांग ल किसी भी नियम या वाली क्षति, या उसके कारण हा। इस गारंटी के तहत होगी। हालाँकि, इस गारंटी
3. हम, ब्यूरो को भुगतान करने का कार्य करते हैं, इस मुकदमे में उठाए गए किसी भी विवाद या विवादों के कार्यवाही से संबंधित इस दायित्व के तहत अपने दाि इस बॉन्ड के तहत हमारे द्वारा किए गए भुगतान के होगा और ठेकेदार (एस) / आपूर्तिकर्ता (एस) के पास	बावजूद, किसी भी अदालत या ' येत्व से संबंधित है। पूर्ण और अ तहत भुगतान के लिए हमारे ट	ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित ासमान। प्रयित्व का एक वैध निर्वहन
दावा नहीं होगा।		

4. हम, आगे सहमत हैं कि गारंटी (बैंक का नाम इंगित करें) इ	समें
निहित अवधि के दौरान पूर्ण बल और प्रभाव रहेगा जो उक्त समझौते के प्रदर्शन के लिए लिया जाएगा औ	र यह
तब तक लागू रहेगा, जब तक कि ब्यूरो के सभी ब्योरे या उसके आधार पर उक्त समझौते को पूरी तरह से	•
भुगतान किया गया है और उसके दावे संतुष्ट या छुट्टी दिए गए हैं या जब तक कि ब्यूरो (सामान्य प्रशास	न
विभाग) के अधिकृत अधिकारी यह प्रमाणित नहीं करते हैं कि उक्त समझौते के नियम और शर्तें उक्त ठेवें	केदार
द्वारा पूरी तरह से और ठीक से किए गए हैं और उक्त समझौते के अनुसार उक्त ठेकेदार द्वारा पूरी तरह	से
और ठीक से किया गया है और तदनुसार इस गारंटी का निर्वहन करता है। जब तक इस गारंटी के तहत क	गेई
मांग या दावा हम पर या उससे पहले लिखित रूप में नहीं किया जाता है इसके बाद हमें इस	
गारंटी के तहत सभी देयताओं से छुट्टी मिल जाएगी। 5. हम	I
आगे ब्यूरो से सहमत हूँ कि (बैंक का नाम इंगित करें) ब्यूरो के पास हमारी सहमति के बिना पूर्ण	
स्वतंत्रता होगी और किसी भी तरीके से प्रभावित किए बिना हमारे दायित्वों को उक्त समझौते के किसी भी	ÌΤ
नियम और शर्तों को अलग करने या उक्त ठेकेदार द्वारा प्रदर्शन के लिए समय बढ़ाने के लिए होगा) सम	ाय-
समय पर या किसी भी समय या स्थगित करने के लिए समय-समय पर उक्त ठेकेदार (एस) के खिलाफ ब	^इ यूरो
द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों में से कोई भी और उक्त समझौते से संबंधित किसी भी नियम और	शर्तीं
को लागू करने या लागू करने के लिए और हम। ऐसे किसी भी भिन्नता, या उक्त ठेकेदार (नों) को दिए जा	ा रहे
विस्तार के कारण या ब्यूरो की ओर से किसी भी प्रतिबंध, अधिनियम या आयोग या उक्त ठेकेदार को ब्यू	्रो
द्वारा किसी भी भोग के लिए हमारे दायित्व से राहत नहीं दी जानी चाहिए।) या ऐसी किसी भी बात या ब	ात से
जो सुनिश्चितता से संबंधित कानून के तहत होगा लेकिन इस प्रावधान के लिए, हमें राहत देने का प्रभाव	है।
6. यह गारंटी बैंक या ठेकेदार (एस) / आपूर्तिकर्ता (एस) के संविधान में परिवर्तन के कारण छुट्टी नहीं दी	T
जाएगी।	
7. हम, अंतिम रूप से इसे निरस्त करने का उपक्रम	नहीं
करना चाहिए (बैंक के नाम से संकेत मिलता है) अपनी मुद्रा के दौरान गारंटी को छोड़कर लिखित रूप में ब	ःयूरो
की पूर्व सहमति। दिनांक (वर्ष) का दिन के लिये इंग्लिस सहमति। दिनांक (बैंक का नाम इंग्लिस	गेत
करें)	

<u>अनुबंध- 2</u>

बोलीदाताओं द्वारा प्रस्त्त किए जाने वाले विवरण

- 1. फर्म का नाम:
- 2. वैधता तिथि के साथ पंजीकरण का वर्ग:
- 3. संचार के लिए पता:
- 4. लैंडलाइन और मोबाइल नंबर:
- 5. ई-मेल:
- 6. प्रोपराइटर / पार्टनर / डायरेक्टर का विवरण

	पता	योग्यता और
नाम		अनुभव

- 7. पैन, फर्म की जीएसटी संख्या (प्रति संलग्न करें):
- 8. जीएसटी पंजीकरण संख्या:
- 9. पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न और जीएसटी रिटर्न की प्रतियां संलग्न करें।
- 10. ईएमडी ड्राफ्ट नंबर / तिथि और बैंक का नाम:

यह प्रमाणित करना है कि उपरोक्त तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्ण और सही हैं। इसके अलावा, यह प्रमाणित है कि मैंने / हमने निविदा सूचना के नियमों और शर्तों को पढ़ा और समझा है। । / हम एक वचन देते हैं और निविदा की सभी शर्तों और शर्तों की बिना शर्त और असमान स्वीकृति देते हैं और इन नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं।

फर्म का नाम और हस्ताक्षर फर्म की सील

दिनांक:
जगह:

अनुलग्नक -3

द्वारा दिए गए सेवाओं के अनुलग्नक -3

द्वारा दिए गए सेवाओं के SIMILAR प्रकार का विवरण 10 वर्ष की आयु में 3 अध्यापन की समाप्ति के बाद प्रकार का विवरण 10 वर्ष की आयु में 3 अध्यापन की समाप्ति के बाद

साल	का नाम और प्रकार सेवाएँ दी गयी	का नाम और पता संगठन	का मान सेवाएँ दी गयी	टिप्पणियों

ऊपर संगठन से प्रस्ताव पत्र की प्रतियां संलग्न करें।

अनुबंध- 4

ब्लैक-लिस्टिंग और / या शोधन के संबंध में निर्णय मैं / हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म केंद्र सरकार /
राज्य सरकार या केंद्र सरकार / राज्य सरकार के अधीन किसी मंत्रालय या राज्य सरकार या पीएसयू या अन्य निकायों
द्वारा ब्लैक-लिस्टेड नहीं है। मैं / हम आगे घोषणा करते हैं कि कोई भी आपराधिक मामला भारत में कहीं भी फर्म या
उसके मालिक / भागीदारों के खिलाफ पंजीकृत या लंबित नहीं है। दिनांक का
दिन। (साल) बोलीदाता का हस्ताक्षर बोलीदाता का नाम और पता:
फर्म की सील